

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – राजीव द्विवेदी, RAS

प्रकरण संख्या : 08 / 2025
रजिस्ट्रेशन नं. : 2025 / 9

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
बांसवाड़ा (राज) बनाम

अभियुक्त :-

श्री पवन कुमार सोलंकी पुत्र श्री सुन्दर लाल,
(विक्रेता / मालिक) निवासी 07 टीमेडा बडा,
कुशलगढ, बांसवाडा, मैसर्स मोहित किराणा
स्टोर, मेन रोड, टीमेडा बडा, कुशलगढ,
बांसवाडा (राज.)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 02-12-2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री उम्मेद मल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 23-01-2025 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 26-09-2024 को 2.25 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स मोहित किराणा स्टोर, मेन रोड, टीमेडा बडा, कुशलगढ, बांसवाडा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री पवन कुमार सोलंकी पुत्र श्री सुन्दर लाल उपस्थित थे। विक्रेता की उपस्थिति में मैसर्स मोहित किराणा स्टोर, मेन रोड, टीमेडा बडा का निरीक्षण करने पर परिसर में खाद्य पदार्थ तुअर दाल (लूज) प्लास्टिक के कट्टे में 20 किलोग्राम रखी पायी गई। जिसको एफ.एस.एस. ए 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर होने का नही होने के शक पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए खाद्य पदार्थ तुअर दाल (लूज) 4 किग्रा वास्ते नमुना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 280/- रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जाँच हेतु खरीदशुदा खाद्य पदार्थ तुअर दाल (लूज) 4 किग्रा को चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा का कोड क्रमांक W-1913 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनों पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का


न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)



सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बांसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बांसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/491 दिनांक 13-11-2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1134 दिनांक 10-10-2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ तुअर दाल (लूज) का नमुना कोड क्रमांक **W-1913** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा खाद्य पदार्थ तुअर दाल (लूज) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 27-01-2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 25.02.2025 को अप्रार्थी का नोटिस बाद तामील पेश हुआ। तत्पश्चात् से आज दिनांक तक अप्रार्थी दौराने सुनवाई अनुपस्थित रहा है। आज अप्रार्थी के नाम से बार-बार रुक-रुक कर सायं 4.00 बजे तक आवाज लगवाई किन्तु गैरसायल/ आरोपी अनुपस्थित है। आरोपी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं उपस्थित विभागीय पैरोकार की ओर से एक पक्षीय बहस सुनी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 26-09-2024 को 2.25 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स मोहित किराणा स्टोर, मेन रोड, टीमेडा बडा, कुशलगढ, बांसवाडा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री पवन कुमार सोलंकी पुत्र श्री सुन्दर लाल उपस्थित थे। विक्रेता की उपस्थिति में मैसर्स मोहित किराणा स्टोर, मेन रोड, टीमेडा बडा का निरीक्षण करने पर परिसर में खाद्य पदार्थ तुअर दाल (लूज) प्लास्टिक के कट्टे में 20 किलोग्राम रखी पायी गई। जिसको एफ.एस.एस.ए 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर होने का नही होने के शक पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए खाद्य पदार्थ तुअर दाल


न्याय निर्णय अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाडा (राज.)

(लूज) 4 किग्रा वारते नमुना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 280/- रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जाँच हेतु खरीदशुदा खाद्य पदार्थ तुअर दाल (लूज) 4 किग्रा को चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाँसवाडा का कोड क्रमांक **W-1913** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूना पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बाँसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बाँसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बाँसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/491 दिनांक 13-11-2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बाँसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1134 दिनांक 10-10-2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ तुअर दाल (लूज) का नमुना कोड क्रमांक **W-1913** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा खाद्य पदार्थ तुअर दाल (लूज) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विभागीय पैरोकार की ओर से प्रस्तुत एक पक्षीय बहस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बाँसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/491 दिनांक 13-11-2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बाँसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1134 दिनांक 10-10-2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ तुअर

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बाँसवाडा (राज.)



दाल (लूज) का नमूना कोड क्रमांक **W-1913** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 गया है। प्रकरण में अभियुक्त बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा है। पत्रावली में वक्त सुनवाई विभागीय पैरोकार द्वारा तत्सम्बन्धित आवश्यक साक्ष्य/दस्तावेज पेश किये हैं। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड किया गया खाद्य पदार्थ तुअर दाल (लूज) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री पवन कुमार सोलंकी पुत्र श्री सुन्दर लाल, (विक्रेता/ मालिक) निवासी 07 टीमेडा बडा, कुशलगढ, बांसवाडा, मैसर्स मोहित किराणा स्टोर, मेन रोड, टीमेडा बडा, कुशलगढ, बांसवाडा (राज.) को रूपये 20,000/- (अक्षरे रु बीस हजार मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बांसवाडा को पाबंद किया जाता है कि अप्रार्थी से उपरोक्त जुर्माना राशि का जमाशुदा चालान प्राप्त कर न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 02-12-2025 खुले न्यायालय सुनाया गया।



(राजीव द्विवेदी)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(आदि जिला कलेक्टर)
बांसवाडा (राज.)
बांसवाडा (राज.)